

कर-भिन्न राजस्व

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2019-2020	बजट 2020-2021	संशोधित 2020-2021	(₹ करोड़) बजट 2021-2022
ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ						
1. ब्याज प्राप्ति						
1.01.	राज्य	0049	7658.15	5313.20	3948.64	3813.15
1.02.	संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल युक्त)	0049	37.85	60.02	59.02	59.02
1.03.	अन्य ब्याज प्राप्ति	0049	49254.78	31968.82	51384.16	46613.47
1.03.01.	घटाइए -व्यय के प्रति घटाई गई प्राप्ति	0049	-44601.80	-26300.00	-41387.16	-38944.47
निवल-ब्याज प्राप्ति			12348.98	11042.04	14004.66	11541.17
2. लाभांश और लाभ						
2.01.	सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और अन्य निवेशों से लाभांश	0050	35543.09	65746.96	34717.25	50027.81
2.02.	भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लाभांश/अधिशेष लाभ	0050	150589.45	89648.51	61826.29	53510.61
जोड़-लाभांश और लाभ			186132.54	155395.47	96543.54	103538.42
जोड़-ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ			198481.52	166437.51	110548.20	115079.59
राजकोषीय सेवाएं						
3. राजकोषीय सेवाएं						
3.01.	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल (सिक्कों के परिचालन से लाभ)	0046	659.98	560.00	560.00	616.00
3.02.	अन्य राजकोषीय सेवाएं	0047	381.08	190.80	29.65	85.90
जोड़-राजकोषीय सेवाएं			1041.06	750.80	589.65	701.90
जोड़-राजकोषीय सेवाएं सामान्य सेवाएं			1041.06	750.80	589.65	701.90
4. सामान्य सेवाएं						
4.01.	प्रशासनिक सेवाएं					
4.01.01.	लोक सेवा आयोग	0051	89.64	92.00	90.50	97.50
4.01.02.	पुलिस	0055	9021.55	9260.75	8355.75	9913.75
4.01.03.	पूर्ति और निपटान	0057
4.01.04.	लेखन सामग्री और मुद्रण	0058	23.41	15.59	10.76	10.68
4.01.05.	लोक निर्माण कार्य	0059	476.90	595.03	429.33	429.33
4.01.06.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0070	5947.16	7246.91	3339.71	5921.56
4.01.07.	कारागार	0056	0.06
जोड़-प्रशासनिक सेवाएं			15558.72	17210.28	12226.05	16372.82
4.02.	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां					
4.02.01.	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	0071	1335.48	2609.98	2162.74	2409.48
4.02.02.	घटाइए प्राप्ति	0071	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
निवल-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां			1335.48	1609.98	1162.74	1409.48
4.03.	विविध सामान्य सेवाएं					
4.03.01.	विविध सामान्य सेवाएं	0075	21225.89	23008.56	20977.30	22841.57
4.03.02.	घटाइए वाणिज्यिक विभाग कैंटीन स्टोर्स विभाग की प्राप्ति	0075	-17812.01	-20208.00	-18100.00	-19900.00
निवल-विविध सामान्य सेवाएं			3413.88	2800.56	2877.30	2941.57
4.04.	रक्षा सेवाएं					
4.04.01.	रक्षा सेवाएं सेना	0076	3288.00	3616.40	3969.36	4102.78
4.04.01.01.	प्राप्ति घटाइए	0076	-3288.00	-3616.40	-3969.36	-4102.78
निवल		
4.04.02.	रक्षा सेवाएं नौसेना	0077	700.38	600.00	1600.00	700.00
4.04.02.01.	प्राप्ति घटाइए	0077	-700.38	-600.00	-1600.00	-700.00

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2019-2020	बजट 2020-2021	संशोधित 2020-2021	(₹ करोड़) बजट 2021-2022
निवल		
4.04.03.	रक्षा सेवाएं वायु सेना	0078	1404.18	1300.00	1700.00	1300.00
4.04.03.01.	प्राप्तियां घटाइए	0078	-1404.18	-1300.00	-1700.00	-1300.00
निवल		
4.04.04.	रक्षा सेवाएं आयुध कारखाने	0079	1928.50	3233.08	2794.37	2276.40
4.04.04.01.	प्राप्तियां घटाइए	0079	-1928.50	-3233.08	-2794.37	-2276.40
निवल		
4.04.05.	रक्षा सेवाएं अनुसंधान और विकास	0080	404.07	300.00	300.00	300.00
4.04.05.01.	प्राप्तियां घटाइए	0080	-404.07	-300.00	-300.00	-300.00
निवल		
निवल-रक्षा सेवाएं		
निवल-सामान्य सेवाएं			20308.08	21620.82	16266.09	20723.87
जोड़-सामान्य सेवाएं			20308.08	21620.82	16266.09	20723.87
सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं						
5. सामाजिक सेवाएं						
5.01.	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	0202	365.45	406.64	79.91	167.50
5.02.	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	0210	972.24	896.25	1021.54	1054.46
5.03.	परिवार कल्याण	0211	34.92	17.12	6.03	15.06
5.04.	आवासन	0216	329.73	333.31	256.59	330.71
5.05.	शहरी विकास	0217
5.06.	सूचना और प्रचार प्रसार	0220	53.23	47.55	37.91	44.55
5.07.	प्रसारण	0221	912.63	1962.25	1639.95	1164.75
5.08.	श्रम और रोजगार	0230	508.07	604.83	102.98	103.56
5.09.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0235	2.25	0.64	0.53	0.49
5.10.	अन्य सामाजिक सेवाएं	0250	225.68
5.10.01.	घटाइए-प्राप्तियां	0250
5.11.	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	0215
निवल-सामाजिक सेवाएं			3404.20	4268.59	3145.44	2881.08
जोड़-सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं			3404.20	4268.59	3145.44	2881.08
आर्थिक सेवाएं						
6. आर्थिक सेवाएं						
6.01.	कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप					
6.01.01.	फसल कार्य	0401	514.33	623.90	523.05	523.05
6.01.02.	पशुपालन	0403	24.45	25.91	20.45	20.70
6.01.03.	डेयरी विकास	0404	356.11	415.40	361.50	390.20
6.01.03.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - दिल्ली दुग्ध योजना	0404	-354.76	-415.00	-361.50	-498.00
निवल			1.35	0.40	...	-107.80
6.01.04.	मात्स्यिकी	0405	3.28	4.21	2.35	2.35
6.01.05.	वानिकी एवं वन्य जीवन	0406	46.54	52.38	38.06	40.45
6.01.05.01.	प्राप्तियां घटाइए	0406	-8.07	-9.78	...	-5.00
निवल			38.47	42.60	38.06	35.45
6.01.06.	खाद्य भंडारण और भांडागार	0408	541.77	660.25	600.27	660.30
6.01.06.01.	प्राप्तियां घटाइए	0408
निवल			541.77	660.25	600.27	660.30
6.01.07.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	0415
6.01.08.	अन्य कृषि कार्यक्रम	0435	22.47	19.50	25.08	24.08
6.01.09.	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र	0552	3.13
निवल-कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप			1149.25	1376.77	1209.26	1158.13

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2019-2020	बजट 2020-2021	संशोधित 2020-2021	(₹ करोड़) बजट 2021-2022
6.02.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण					
6.02.01.	वृहत और मध्यम सिंचाई	0701	24.20	42.00	40.00	42.00
6.02.02.	वृहत सिंचाई	0702	3.39	2.50	2.60	2.80
	जोड़-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण		27.59	44.50	42.60	44.80
6.03.	ऊर्जा					
6.03.01.	विद्युत	0801	2350.86	3681.20	3471.21	3846.62
6.03.01.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - ईंधन माल सूची	0801	-615.09	-2534.97	-2534.97	-2753.55
	निवल		1735.77	1146.23	936.24	1093.07
6.03.02.	पेट्रोलियम	0802	11841.14	14075.14	8621.00	10231.00
6.03.03.	कोयला और लिग्नाइट	0803	-2.65	3203.85	3197.85	3197.85
6.03.04.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	0810	0.04	0.06	0.06	0.06
	निवल-ऊर्जा		13574.30	18425.28	12755.15	14521.98
6.04.	उद्योग और खनिज					
6.04.01.	ग्राम और लघु उद्योग	0851	33.51	25.83	35.93	35.93
6.04.02.	उद्योग	0852	1948.50	3411.39	3312.54	4064.24
6.04.02.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - ईंधन फैब्रिकेशन सुविधाएं	0852	-1662.51	-2977.95	-2977.95	-3693.36
6.04.02.03.	सेक्टर में अन्य प्राप्तियां घटाइए	0852
	निवल		285.99	433.44	334.59	370.88
6.04.03.	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	0853	707.98	510.92	417.69	471.45
6.04.04.	अन्य उद्योग	0875	195.27	150.00	200.00	200.00
6.04.04.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - अफीम और क्षारीय निर्माणियां	0875	-195.27	-150.00	-200.00	-200.00
	निवल	
	निवल-उद्योग और खनिज		1027.48	970.19	788.21	878.26
6.05.	परिवहन					
6.05.01.	पत्तन और दीपस्तंभ	1051	330.37	320.00	350.00	340.00
6.05.01.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत	1051	-316.95	-320.00	-350.00	-340.00
	निवल		13.42
6.05.02.	पोत परिवहन	1052	86.36	142.15	142.18	142.18
6.05.03.	नागर विमानन	1053	258.66	473.05	55.24	75.30
6.05.04.	सड़क और पुल	1054	10394.38	25160.66	22410.00	23310.00
6.05.05.	अंतर्देशीय जल परिवहन	1056
6.05.06.	डाक प्राप्तियां	1201	13558.20	18710.05	12330.05	17710.05
6.05.06.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - डाक	1201	-13558.20	-18710.05	-12330.05	-17710.05
	निवल	
6.05.08.	सड़क परिवहन	1055
	निवल-परिवहन		10752.82	25775.86	22607.42	23527.48
6.06.	संचार					
6.06.01.	अन्य संचार सेवाएं	1275	69846.43	133027.20	33737.00	53986.72
6.07.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण					
6.07.01.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	1401	96.59	99.14	90.07	84.31
6.07.02.	अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान	1425	1331.74	1547.28	1206.03	1325.58
	जोड़-विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण		1428.33	1646.42	1296.10	1409.89
6.08.	सामान्य आर्थिक सेवाएं					
6.08.01.	विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं	1453	356.31	344.87	344.88	357.40
6.08.02.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	1475	3600.79	7208.81	3813.00	4472.00

		(₹ करोड़)			
कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2019-2020	बजट 2020-2021	संशोधित 2020-2021	बजट 2021-2022
6.08.02.02.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	0515	11.69
	जोड़-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं		3612.48	7208.81	3813.00
6.08.03.	पर्यटन	1452	11.63	5.00	7.10
6.08.04.	नागरिक आपूर्ति	1456	0.51	0.12	0.05
	जोड़-सामान्य आर्थिक सेवाएं		3980.93	7558.80	4165.03
	निवल-आर्थिक सेवाएं		101787.13	188825.02	76600.77
7. रेल राजस्व					
7.01.	भारतीय रेलवे विविध प्राप्ति	1001	338.09	300.00	300.00
7.01.01.	घटाइए विविध प्राप्ति	1001	-338.09	-300.00	-300.00
7.02.	भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइनें	1002	172258.50	223397.37	144093.37
7.02.01.	घटाइए प्राप्ति	1002	-172258.50	-223397.37	-144093.37
7.03.	भारतीय रेलवे सामरिक लाइनें	1003	2098.10	2215.63	2215.63
7.03.01.	घटाइए प्राप्ति	1003	-2098.10	-2215.63	-2215.63
	निवल- रेल राजस्व	
	जोड़-आर्थिक सेवाएं		101787.13	188825.02	76600.77
सहायता-अनुदान तथा अंशदान					
8. सहायता अनुदान और अंशदान					
8.01.	बाह्य अनुदान सहायता				
8.01.01.	बहुपक्षीय				
8.01.01.01.	एशियाई विकास बैंक	1605	12.12	10.00	11.00
8.01.01.02.	अंतर्राष्ट्रीय कृषि निधि	1605	...	10.00	...
8.01.01.03.	अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	1605	70.84	35.00	74.00
8.01.01.04.	यूरोपीयन यूनियन	1605
	जोड़-बहुपक्षीय		82.96	55.00	85.00
8.01.02.	द्विपक्षीय				
8.01.02.01.	फ्रांस	1605	0.46	...	1.00
8.01.02.02.	जर्मनी	1605	15.76	10.00	12.00
8.01.02.03.	जापान	1605	...	25.00	38.00
	जोड़-द्विपक्षीय		16.22	35.00	51.00
8.01.03.	अंतर्राष्ट्रीय निकाय				
8.01.03.01.	वैश्विक पर्यावरण निधि	1605	257.22	300.00	506.00
8.01.03.02.	यूएनडीपी	1605	11.57	10.00	29.00
	जोड़-अंतर्राष्ट्रीय निकाय		268.79	310.00	535.00
	जोड़-बाह्य अनुदान सहायता		367.97	400.00	671.00
8.02.	सहायता सामग्री और उपस्कर	1606	5.00	412.00	750.75
	जोड़-सहायता अनुदान और अंशदान		372.97	812.00	1421.75
	जोड़-सहायता-अनुदान तथा अंशदान		372.97	812.00	1421.75
संघ राज्य क्षेत्रों का कर-भिन्न राजस्व					
9. संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व					
	जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों का कर-भिन्न राजस्व	1710	1761.81	2302.56	2080.63
	कुल जोड़		327156.77	385017.30	210652.53
					243027.90

1.1. राज्य : राज्यों को अवमुक्त ऋणों पर ब्याज प्राप्ति में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित पर ब्याज सम्मिलित हैं :

(क) गैर-योजना स्कीम (बाह्य नियंत्रण) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, पंजाब और त्रिपुरा राज्यों को विभिन्न समयावधियों के दौरान संवितरित ऋण।

(ख) वित्त मंत्रालय द्वारा ब्याज की भिन्न-भिन्न दरों पर, जिन्हें अब ब्याज के एकसमान दर पर नियत कर दिया जाता है, संवितरित पुराने ऋण।

(ग) राज्य योजना स्कीमों की सहायता के लिए 20 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले संवितरित ऋण।

(घ) पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को संवितरित ऋण। इसमें एकमुश्त ऋण, अन्य देशों से पुनर्वास-स्वदेश प्रत्यावर्तन और संसाधनों में कमी को दूर करने के लिए ऋण भी सम्मिलित हैं।

- 1.2. संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल युक्त) :** संघ राज्यक्षेत्रों (विधानमंडल युक्त) को ऋणों पर ब्याज।
- 1.3. अन्य ब्याज प्राप्ति:** "अन्य ब्याज प्राप्ति" के तहत अनुमान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, पत्तन न्यासों तथा अन्य सांविधिक निकायों, सहकारी समितियों, सरकारी कर्मचारियों आदि को दिए गए ऋणों पर ब्याज और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों पर पूंजी परिव्यय के सम्बन्ध में हैं। अनुमानों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा अर्थोपाय ऋणों पर देय ब्याज भी शामिल हैं।
- 2. लाभांश और लाभ:** इस भाग में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश तथा लाभ शामिल हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के अधिशेष भी शामिल हैं जो सरकार को अन्तरित किए जाते हैं।
- 3.2. अन्य राजकोषीय सेवाएं:** ये प्राप्ति मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय ईएफएफ प्रभार, आईएमएफ से प्राप्त पारिश्रमिक, आदि तथा आर्थिक अपराधों के एवज में प्राप्त शास्तियों आदि के अंशदानों से सम्बन्धित हैं।
- 4.01.01. लोक सेवा आयोग :** "लोक सेवा आयोग" की प्राप्ति मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा शुल्कों इत्यादि संबंधित हैं।
- 4.01.02. पुलिस :** "पुलिस" की प्राप्ति राज्य सरकारों तथा अन्य पक्षों को दिए गए केन्द्रीय पुलिस बलों के कारण हैं। इन प्राप्ति में दिल्ली पुलिस की प्राप्ति भी शामिल हैं।
- 4.01.03. आपूर्ति और निपटान :** "आपूर्ति और निपटान" के अन्तर्गत प्राप्ति मुख्यतः भण्डारों की खरीद तथा निरीक्षण हेतु शुल्कों, और अधिशेष और बेकार पड़े भण्डारों के पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के जरिए निपटान की बिक्री आय से सम्बन्धित हैं।
- 4.01.04. लेखन सामग्री तथा मुद्रण :** "स्टेशनरी तथा मुद्रण" के अन्तर्गत प्राप्ति सरकारी मुद्रणालयों की स्टेशनरी, राजपत्र तथा सरकारी प्रकाशनों की बिक्री आदि से सम्बन्धित हैं।
- 4.01.06. अन्य प्रशासनिक सेवाएं :** "अन्य प्रशासनिक सेवाओं" शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्ति मुख्यतः लेखा परीक्षा शुल्क, पासपोर्ट एवं वीजा शुल्क आदि से सम्बद्ध हैं।
- 4.03.02. घटा - वाणिज्यिक विभाग की प्राप्ति:** कैंटीन स्टोर विभाग : वाणिज्यिक विभाग की प्राप्ति कैंटीन स्टोर्स विभाग (सीएसडी) के माध्यम से प्रदत्त रक्षा सेवाओं से संबंधित है: जिन्हें व्यय बजट में वाणिज्यिक विभागों के निवल व्यय के अंतर्गत आती है।
- 5.01. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति:** "शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति" के अन्तर्गत प्राप्ति मुख्यतः ट्यूशन तथा अन्य शुल्कों एवं संग्रहालयों तथा प्राचीन स्मारकों के प्रवेश शुल्क से सम्बन्धित हैं।
- 5.02. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य:** "चिकित्सा" प्राप्ति में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना से संबंधित अंशदान और अस्पतालों तथा औषधालयों की प्रदत्त सेवाओं की एवज में रोगियों से वसूल किए गए चार्ज आदि शामिल हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राप्ति में सेवा शुल्क, सेरा तथा वेक्सीन की बिक्री की प्राप्ति आदि शामिल हैं।
- 5.03. परिवार कल्याण:** "परिवार कल्याण" प्राप्ति मुख्यतः सामग्रियों तथा आपूर्ति की बिक्री प्राप्ति से सम्बन्धित हैं।
- 5.04. आवास:** "आवासन" प्राप्ति मुख्यतः सरकारी आवासीय भवनों से सम्बन्धित लाइसेंस शुल्क से सम्बद्ध हैं।
- 5.06. सूचना और प्रचार :** "सूचना तथा प्रचार" प्राप्ति में रोजगार समाचार तथा अन्य प्रकाशनों से प्राप्ति, फिल्म प्रभाग निदेशालय और आउटरीच और संचार ब्यूरो (तत्कालीन डीएवीपी) से प्राप्ति शामिल हैं।
- 5.07. प्रसारण :** डीटीएच प्रचालकों, वाणिज्यिक सेवाओं, (टी.वी.), वाणिज्यिक सेवाएं (एफएम) से लाइसेंस शुल्क की प्राप्ति तथा अन्य प्राप्ति।
- 5.08. श्रम और रोजगार:** "श्रम और रोजगार" प्राप्ति मुख्यतः श्रम कानूनों, कारखाना और खान अधिनियम आदि के अंतर्गत वसूल किए गए शुल्कों में संबंधित हैं।
- 5.09. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण:** "सामाजिक सुरक्षा और कल्याण" प्राप्ति मुख्यतः केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा स्कीम से सम्बन्धित है।
- 6.01. कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप:** इस उप-क्षेत्र में कृषि फार्मों, वाणिज्यिक फसलों, बागवानी, पौध संरक्षण सेवाओं, कृषि शिक्षा से शुल्क, कृषि उत्पादों का गुणवत्ता नियंत्रण और श्रेणीकरण हेतु शुल्क आदि से प्राप्ति को शामिल किया जाता है। विदेशी देशों और संगठनों से अनुदान के रूप में प्राप्त बीज, उर्वरक, मशीनरी आदि जैसी निविष्टियों की बिक्री आय को भी इसकी गणना में लिया जाता है।
- 6.02. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण:** इस शीर्ष के अधीन अनुमानों में, मुख्यतः केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे की प्राप्ति आती हैं। "लघु सिंचाई" के अधीन अनुमान केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों आदि के लिए किए गए भूमिगत जल की खोज से सम्बन्धित हैं।

6.03. ऊर्जा: इस शीर्ष के अधीन "विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला और लिग्नाइट तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा" जैसे विभिन्न सेक्शनों से प्राप्त प्राप्तियों को गणना में लिया जाता है।

6.03.01 "विद्युत" शीर्ष में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की प्राप्तियां दर्ज होती हैं।

6.03.02 "पेट्रोलियम" शीर्ष के अधीन अनुमानों में अपतटीय कच्चे तेल और गैस उत्पादन लाभ पेट्रोलियम पर रॉयल्टी और किसी विशेष क्षेत्र में तेल और गैस की अनन्य खोज के अधिकार के लिए लाइसेंस शुल्क से प्राप्तियां शामिल हैं।

(क) खनिज तेल पर रायल्टी आयल फील (विनियमन और विकास अधिनियम, 1948) की धारा 6क और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 समय समय पर यथा संशोधित, द्वारा विनियमित है। पी एंड एनजी नियमावली 1959 के नियम 14 के अंतर्गत, रायल्टी कच्चे तेल, कैंडिसेट और प्राकृतिक गैस के उत्पादन पर देय है। तटीय क्षेत्र से उत्पादन पर रायल्टी संबंधित राज्य सरकार तथा अपतटीय क्षेत्र से उत्पादन पर केन्द्रीय सरकार को देय है। किसी खनिज तेल के संबंध में रायल्टी की दर जिसमें कच्चा तेल शामिल है, आयल फिल्डों अथवा वेलहेडर जैसा भी मामला हो पर खनिज तेल के बिक्री मूल्य से 20.1 से अधिक नहीं होगी।

(ख) लाभ पेट्रोलियम : लाभ पेट्रोलियम का अर्थ लागत पेट्रोलियम और परिगणित तथा संगत करार/ संविदा के अर्थों में सरकार के साथ बांटी गई लागत को घटाकर उस विशेष अवधि के दौरान उत्पादित पेट्रोलियम तथा संपर्क क्षेत्रों से बचाया गया कुल मूल्य है। कोई पेट्रोलियम भाग राष्ट्रीय तेल कंपनियों को दिया गया नामांकन ब्लाकों के लिए देय नहीं है।

(ग) पेट्रोलियम खोज लाइसेंस खोज शुल्क (पीईएल) : (i) पीईएल शुल्क किसी विशेष क्षेत्र में तेल और गैस की अनन्य खोज करने के संबंध में अधिकार प्रदान करने के लिए सरकार को प्रतिफल स्वरूप किसी लाइसेंस प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान है। लाइसेंस शुल्क सामान्यतः क्षेत्र तथा लाइसेंस की अवधि से जुड़ा हुआ होता है और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार लाइसेंस द्वारा देय होता है। (ii) तटीय क्षेत्रों के मामले में पीईएल शुल्क संबंधित राज्य सरकार को तथा अपतटीय क्षेत्र के मामलों में केन्द्र सरकार को जाता है।

(घ) उत्पादन स्तर भुगतान (पीएलपी) : पीएलपी का अर्थ कोल वेड मिथेन ब्लाक में संगत संविदा/करार के अनुसार कतिपय उत्पादन स्तर प्राप्त करने के पश्चात् भारत सरकार के लिए किए जाने वाले भुगतान हैं।

6.04.01. ग्राम और लघु उद्योग: ग्रामीण और लघु उद्योग शीर्ष में औद्योगिक सम्पदाओं, लघु, हथकरघा, खादी, हस्तशिल्प, नारियल जटा, रेशम उद्योग, विद्युत करघा और अन्य ग्राम उद्योगों से प्राप्तियां दर्ज की जाती हैं।

6.04.02. उद्योग: उद्योगों के अधीन प्राप्तियां मुख्यतः परमाणु ऊर्जा उद्योगों और विभिन्न उद्योगों से संग्रहीत लाइसेंस शुल्कों से सम्बन्धित हैं।

6.04.03. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग: अयस्क खनन और धात्विक उद्योग शीर्ष में मुख्यतः भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों की मद में प्राप्तियों को समायोजित किया जाता है।

6.06.01. अन्य संचार सेवाएं : अन्य संचार सेवाओं के अंतर्गत प्राप्तियां मुख्यतः टेलिकॉम ऑपरेटरों से लाइसेंस शुल्कों और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों के कारण प्राप्तियों के संबंधित है। संचार विभाग इसके द्वारा लाइसेंस दिए गए विभिन्न टेलिकॉम सेवा प्रदाओं से आवर्ती लाइसेंस शुल्क संग्रहीत करता है। लाइसेंस शुल्क पब्लिक स्वीचड टेलिकॉम नेटवर्क (पीएसटीएन) प्रभारों पात्र/हकदार सेवा प्रदाओं पर लगाए गए रोमिंग प्रभारों और बिक्री कर/कंपनी के लेखा परिहित खातों में दर्शाए गए अपने कुल राजस्व आंकड़ों से राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए गए सेवा कर जैसी अनुमत कटौतियों के पश्चात् समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 8% की दर से वसुला जाता है।

केप्टिव उपयोग और केप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रेकिंग सेवा (सीएमआरटीएस) लाइसेंसों के लिए दिए गए टेलिकॉम नेटवर्क लाइसेंस के लिए, लाइसेंस शुल्क निर्धारित दरों पर टर्मिनलों/चैनलों की संख्या और अथवा नेटवर्क पूंजीगत लागत पर निर्भर करते हुए वसुली जाती है। इसके अतिरिक्त, नए ऑपरेटरों से एकवारगी प्रवेश शुल्क भी संग्रहीत किया जाता है।

सेवाओं की मुख्य श्रेणियों में (i) मूल सेवा, (ii) सेलुलर मोबाइल टेलिफोन सेवा (सीएमटीएस), (iii) यूनिफाइड एक्सस सर्विस (यूएसएस), (iv) यूनिफाइड लाइसेंस, (v) इंटरनेशनल लॉग डिस्टेंस (आईएलडी), (vi) नेशनल लॉग डिस्टेंस (एनएलडी), (vii) इंटरनेट सर्विस प्रदाता (आईएसपी), (viii) कार्माशियल सीयूजी की सेट लाइसेंस, (ix) पब्लिक मोड्यूल रेडियो ट्रंक सेवाएं (पीएमआरवीएस), (x) केप्टिव मोड्यूल रेडियो ट्रंक सेवाएं (सीएमआरटीएस), (xi) जीएमपी सी एस लाइसेंस, (xii) आईपीएलसी लाइसेंस की पुनः बिक्री।

लाइसेंस शुल्क टेलिकॉम सेवा प्रदाताओं के समायोजित सकल राजस्व (एपीआर) के प्रतिशत हिस्से के आधार पर संग्रहीत किया जाता है, जिसमें यूनीवर्सल एक्सस लेवी (यूएएल) का एक घटक शामिल है। लाइसेंस शुल्क का संग्रहण देश में टेलिकॉम सेवा क्षेत्र की लाइसेंस शुल्क, प्रशुल्क और वृद्धि की दर पर निर्भर करता है।

विभाग वायरलेस उपकरण के रखने के लिए लाइसेंस शुल्क और विभिन्न संगठनों से रेडियो स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए रायल्टी भी एकत्रित करता है। सेवा प्रदाओं से वसुले गए प्रभारों को सामान्यतः स्पेक्ट्रम प्रभारों के नाम से जाना जाता है और यह या तो उनके नेटवर्क (वाणिज्यिक वीसैट लाइसेंस) सौंपे गए स्पेक्ट्रम की मात्रा अथवा समान दरों पर या फार्मुले के आधार पर निर्यक्त करते हुए उनके समायोजित एकल राजस्व के एक प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।

स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार विभाग द्वारा स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए टेलिकॉम सेवा प्रदाताओं (मोबाइल, कार्मिशियल पी सी सेट इत्यादी) से वसुले जाते हैं और उनके नेटवर्क के लिए सौंपी गई मात्रा पर निर्भर करते हुए समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किये जाते हैं।

6.07.01. परमाणु ऊर्जा अनुसंधान: "परमाणु ऊर्जा अनुसंधान" के अंतर्गत प्राप्तियां भाभा परमाणु शोध केन्द्र के विभिन्न प्रभागों/एककों द्वारा प्रदत्त सेवाओं तथा विक्री से सम्बन्धित हैं।

6.07.02. अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान: अन्य वैज्ञानिक सेवाएं तथा अनुसंधान" मुख्यतः भारतीय सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय एटलस तथा थीमैटिक मैपिंग संगठन से सम्बन्धित है।

6.08.01. विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं: "विदेश व्यापार तथा निर्यात सेवाएं" शीर्ष के तहत प्राप्तियां व्यापार तथा भुगतान समझौते के अन्तर्गत शेष के संबंध में भारत के पक्ष में विदेशी मुद्रा के पुनर्मूल्यांकन पर अर्जित प्राप्तियां हैं।

6.08.02. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं: "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं" शीर्ष के तहत मुख्य रूप से ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों के विनियमन तथा बीमा अधिनियम के तहत वसूली गई फीस शामिल है। इसमें भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग की प्राप्तियां, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा गैर-सरकारी निकायों को प्रदत्त सेवाओं के लिए प्राप्त फीस और जोखिम बीमा निधि सम्बन्धी प्राप्तियां भी शामिल हैं।

7. रेल राजस्व : रेल बजट के अनुसार प्राप्तियों में i) विविध प्राप्तियाँ ii) वाणिज्यिक लाइनें, और (iii) सामरिक लाइनें शामिल हैं। चूंकि यह वाणिज्यिक प्राप्ति है अतः कर-भिन्न राजस्व पर इसका प्रभाव शून्य है।

9. संघ राज्य क्षेत्रों का कर-भिन्न राजस्व : (विधान मण्डलों रहित) संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां मुख्यतः प्रशासनिक सेवाओं, विशेषकर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में लकड़ी तथा वनोत्पाद की विक्री, चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम से प्राप्त प्राप्तियां तथा पोत परिवहन से प्राप्त प्राप्तियां, पर्यटन तथा विद्युत आदि शामिल हैं।